

2 हिस्से पर वादीगण व तृतीय प्रतिवादी संख्या 6 के नाम खातेदारी काश्तकारी का इन्दाज किया जाकर दावा वादीगण डिकी किया जाता है । प्रकरण तम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया ।

(विनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
काशीमान (भरतपुर) ज०

जो थी तभी से मल्लू के साथ मल्लू के हिस्से पर वादीगण व सुखपालव प्रतिवादीगण आज तक काशत करते रहे । मैंने मनवट के बाद आज से करीब 25-26 सालों में मल्लू के हिस्से पर सुखपाल व प्रतिवादीगण को एवं सुखपाल के हिस्से पर मल्लू व वादीगण को कभी काशत करते नहीं देखा । ये दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से पर निस्फ निस्फ आराजी पर मनवट के आधार पर काशत करते चले आ रहे हैं । दोनों ही पक्षों ने खरीफ की फसल काट ली है एवं रवि की फसल तैयार कर रहे हैं । प्रतिवादीगण बावजूद उपस्थित नहीं आने पर एक्सपार्टी किया जा चुका है । वादीगण की ओर अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया । लिखित बहस पेश की कि आराजी मुतदाविया के खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 147/0.39,165/0.14, 410/0.37,411/0.03,412/0.19, एवं खाता संख्या 6 का आराजी खसरा नम्बर 413/0.06, वाके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामा में स्थित है । वादीगण 1 लगायत 4 के पिता 5 लगा 8 के दादा व तरतीवी प्रति 6 के पिता मल्लू एवं प्रतिवादीगण असल पिता की सामलात की आराजी है । वादीगण के पिता मल्लू ने व प्रतिवादी के पिता सुखपाल ने रजिस्टर्ड बयनामा से दिनांक 01.12.1958 को बहिस्सा बराबर उक्त आराजी को खरीद किया था । सबूत में असल बयनामा जो सलग्न दावा में है । बयनामा होने के बाद से ही दोनों भाई मल्लू व सुखपाल काशत करते रहे एवं इन दोनों के मरने के बाद उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर में काशत करते चले आ रहे हैं । वादीगण व प्रतिवादी 1/2 1/2 के हिसाब से आज तक काबिज हैं । सं 2015-2018 में दाखिल खारिज खोला गया । उक्त बयनामा के आधार पर उसमें सिर्फ खसरा नम्बर 411/0.03, 413/0.06 पर ही 1/2 हिस्से में मल्लू के नाम मात्र 0.09 एयर का खोला गया एवं शेष सभी आराजी मुत 0 का अकेले सुखपाल के नाम खोला गया । सबूत में नकल जमाबन्दी सं 2015 ईएक्सपी-3 सलग्न है । सं 2051-2054 जो कि ईएक्स पी -4 है में केवल खसरा नम्बर 413/0.06 ही मल्लू के नाम रह गया एवं खसरा नम्बर 411 /0.03 भी सुखपाल के नाम कर दिया गया । बयनामा के बाद आज तक दोनों पक्ष बहिस्सा बराबर काबिज काशत है । प्रतिवादीगण पूर्व में ही एक्सपार्टी हो चुके हैं तथा दावा के समर्थन में साक्ष्य पेश किये हैं जिन्होंने भी मौके पर 1/2 1/2 का कब्जा काशत बताया है । राजस्व रिकार्ड में गलत इन्दाज की वजह से मुझे दावा लाना पडा । आराजी मुतदाविया के खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 147/0.39,165/0.14, 410/0.37,411/0.03,412/0.19, एवं खाता संख्या 6 का आराजी खसरा नम्बर 413/0.06, किता 5 रकबा 1.18 हैक्ट 0 वाके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामा के 1/2 हिस्से पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 के नाम खातेदारी काशतकारी का इन्दाज किया जाकर दावा वादीगण डिकी किये जाने की कृपा करें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य को पढा । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित रहने के कारण उन्हें दिनांक 20.09.2017 एक्सपार्टी किया जा चुका है । मूल बयनामा ईएक्सपी नं 01 को भी पढा । जिसमें सुखपाल मल्लू पिसरान भवानी जाति कुम्हार ग्राम विछोरिया साकिन गुरगुरिया तहसील कामा को बहिस्सा बराबर खातेदार विक्रय किया है । आराजी मुतदाविया के खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 147/0.39,165/0.14, 410/0.37,411/0.03,412/0.19, एवं खाता संख्या 6 का आराजी खसरा नम्बर 413/0.06, किता 5 रकबा 1.18 हैक्ट 0 वाके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामा के 1/2 हिस्से पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 के नाम खातेदारी काशतकारी का इन्दाज किया जाकर दावा वादीगण डिकी किया उचित है । तथा वर्तमान रिकार्ड हो रहे गलत इन्दाज सं 2015-2018 में दाखिल खारिज खोला गया । उक्त बयनामा के आधार पर उसमें सिर्फ खसरा नम्बर 411/0.03, 413/0.06 पर ही 1/2 हिस्से में मल्लू के नाम मात्र 0.09 एयर का खोला गया एवं शेष सभी आराजी मुत 0 का अकेले सुखपाल के नाम खोला गया । अर्थात् जमाबन्दी में हो रहे गलत इन्दाज हो कलमजन किया जाकर बयनामा व मौके काशत के आधार डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः आदेश है कि वर्तमान जमाबन्दी में हो रहे गलत इन्दाज को कलम जन किया जावे । तथा बयनामा व मौके के आधार पर आराजी मुतदाविया के खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 147/0.39,165/0.14, 410/0.37,411/0.03,412/0.19, एवं खाता संख्या 6 का आराजी खसरा नम्बर 413/0.06, किता 5 रकबा 1.18 हैक्ट 0 वाके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामा के

147/0.39,165/0.14, 410/0.37,411/0.03,412/0.19, एवं खाता संख्या 6 का आराजी खसरा नम्बर 413/0.06, वाके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामा में स्थित है। आराजी मुत0 आज से करीब 89 साल पूर्व वादीगण सं0 एक लगायत पांच के पिता व 5 लगायत 7 के दादा व तरतीवी प्रति सं0 6 के पिता मल्लू व प्रतिवादीगण असल के पिता सुखपाल, ने खातेदार चेताराम पुत्र रामफल जाति गढ़रिया निवासी गुरगुरिया से जरिये पंजीकृत बयनामा बहिस्सा बराबर यानि के निष्फ निष्फ हिस्से का बयनामा रोबरू उपपंजीयक से बयनामा तस्दीक कराया था और खरीद की रकम दोनों भाइयों ने आधी आधी वहन की थी नकल बयनामा संलग्न दावा है। तभी से वे दोनों भाई कुछ दिनों तक सामलात में हम पक्षकारान के सामने भी बहिस्सा बराबर करते रहे हैं और बाद में हम पक्षकारान के सामने ही उन दोनों ने करीब आज से 20 वर्ष पूर्व मौके पर मनवट कर लिये हैं और उन दोनों के साथ में ही तथा उनके सामने से ही आराजी मुतदाविया पर वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष निष्फ निष्फ हिस्से पर आज तक काश्त करते चले आ रहे हैं। मौके पर बयनामा से आज तक हम दोनों पक्ष निष्फ निष्फ हिस्से पर आज तक काश्त काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में बयनामा के आधार पर इन्दाज नहीं किया जाकर बयनामा को अन्देखा कर दिया गया और बयनामा के सम्बन्ध में दोनों भाईयों का बहिस्सा बराबर का इन्दाज न करके मल्लू के नाम मात्र 2 नम्बरान 411/0.03, व 413/0.06, किता 2 रकवा 0.09 एयर का 1/2 हिस्सा ही किया गया है जबकि सुखपाल के नाम उपरोक्त दोनों नम्बरान का 1/2 हिस्सा भी एवं शेष चारों नम्बरान जिनमें सारा रकवा था एकले के नाम इन्दाज उसी सं0 2015 लगायत 2018 में ही कर दिया। नकल जमाबन्दी सं0 2015 लगायत 2018 संलग्न दावा है। इस प्रकार वादीगण राजस्व रिकार्ड में निष्फ हिस्से की खातेदारी काश्तकारी करा पाने के मुस्तहक है। मौके पर कब्जा व काश्त निष्फ हिस्से पर होते हुए भी राजस्व रिकार्ड में पूरा इन्दाज न होने से प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ती आ गयी है। और व उसका नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं जिसकी ऐलानियां घमकी उन्होंने अभी दिनांक 25.08.2017 को दे दी है कि व कब्जे काश्त के 1/2 हिस्से वादीगण में मदाखलत व मजाहमत करके रहेगें एवं वादीगण को वादी पक्ष के पूरे रकवे पर काश्त नहीं करने देगे अगर प्रतिवादीगण अपने इस इशारे में कामयाब हो गये तो वादीगण को ऐसी अपरमित क्षति होगी कि जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न की जा सकेगी विदिवजह वादीगण आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी काश्तकारी का इन्दाज करा पाने का मुस्तहक है। राजस्व रिकार्ड में चल रहे गलत इन्दाज को कलमजन किया जाकर आराजी मुत0 खसरा नम्बर 147/0.39,165/0.14, 410/0.37,411/0.03,412/0.19, एवं खाता संख्या 6 का आराजी खसरा नम्बर 413/0.06, वाके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामा के 1/2 हिस्से पर वादीगण के व तरतीवी प्रतिवादी के नाम खातेदारी काश्तकारी का इन्दाज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। इकरतरफा कार्यवाही कर अनुपस्थित किया गया।

वादीगण ने अपने दावा को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2067-70, नकल जमाबन्दी सं0 2015-2018, 2051-2054 व असल बयनामा दिनांक 29.11.1958 का पेश किया गया। साक्ष्य में श्री सुक्कीराम पुत्र कलुआराम जाति कुम्हार निवासी गुरीरा, ने बताया कि आराजी मुतदाविया व मेरे आराजी के आस पास ही है। आराजी मुतदाविया करीब साडे साते बीघा नम्बर है जो वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुग सुखपाल व मल्लू के सामलात में खरीद की थी एवं हिस्सा बराबर सामलात में काश्त करते रहे और आज से करीब 25-26 साल पहले उन दोनों ने पूरे परिवार के व पड़ोसियों के सामने जिनमें मैं भी शामिल था मनवट कर लिया था। तभी से मल्लू के साथ मल्लू का परिवार व सुखपाल के साथ सुखपाल का परिवार मनवट के आधार पर काश्त करने लगे और उन दोनों के मरने के बाद इन 25-26 सालों में वादी व प्रतिवादी को एक दूसरे के हिस्से को जोतते-बोते नहीं देखा ये दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से पर निष्फ निष्फ आराजी पर मनवट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे हैं। दोनों ही पक्षों ने खरीद की फसल काट ली है एवं रवि की फसल तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार बुले राम पुत्र हरलाल जाति कुम्हार निवासी गुरीरा ने शपथ पत्र बास्ते बयान पेश किया है कि आराजी मुतदाविया व मेरे आराजी के आस पास ही है। आराजी मुतदाविया करीब साडे साते बीघा नम्बर है जो वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुग सुखपाल व मल्लू के सामलात में बहिस्सा बराबर खरीद

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामा

मुकदमा नं० 109/17

- 1-अमरसिंह पुत्र मल्लू
- 2-धर्मसिंह पुत्र मल्लू
- 3-कमल पुत्र मल्लू (मृतक)
 - 3/1-किरणदेवी पत्नि कमलसिंह
 - 3/2-सीताराम पुत्र कमलसिंह
 - 3/3-दुर्जनसिंह पुत्र कमलसिंह
 - 3/4-मानसिंह पुत्र कमलसिंह
 - 3/5-ओमवती पुत्री कमलसिंह
 - 3/6-सफेदी देवी पुत्री कमलसिंह जाति कुम्हार निवासी ग्राम गुरगुरिया तहसील कामा
- 4-रेवतीलाल पुत्र मल्लू
- 5-राधेश्याम पुत्र फूलचन्द
- 6-मुकेश पुत्र फूलचन्द
- 7-रतनसिंह पुत्र फूलचन्द
- 8-पुष्पा बेबा फूलचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम गुरगुरिया तहसील कामा

बादीगण

बनाम

- 1-शेरसिंह पुत्र सुखपाल
- 2-यादराम पुत्र सुखपाल
- 3-गुलाबी पुत्री सुखपाल
- 4-प्रेमचन्द पुत्र सुखपाल
- 5-गिरधारी पुत्र सुखपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम गुरगुरिया तहसील कामा

असल प्रतिवादीगण

- 6-तुलसीराम पुत्र मल्लू जाति कुम्हार निवासी ग्राम गुरगुरिया तहसील कामा
- तरतीवी प्रतिवादी
- 7-तहसीलदार तहसील कामा

फोरमल प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी

1-अमित शर्मा

दावा डिकलेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक: 27.06.2022

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 188 आर0टी0एक्ट के
ऊक्त पेश कर निवेदन किया कि वादीगण आराजी मुतदाविया के खाता संख्या 111 खसरा नम्बर